



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-4275-अ0प्र0-07/पाकालि/16-05-अ0प्र0-07/15

दिनांक 22.12.2016

कार्यालय ज्ञाप

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत निम्नांकित अवर अभियन्ताओं (वै० एवं या०) को 8.33% प्रोन्नति कोटा के अन्तर्गत उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी एवं स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (वै० एवं या०) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश सं०-485-ए-आर/राविपि-01-28-एआर/89, दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे :-

8.33% प्रोन्नति कोटा

क्र० सं०	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम जन्मतिथि/ब्रांच/गृह जनपद/वर्ग/विश्वविद्यालय का नाम/वरिष्ठता क्रमांक सर्वश्री/सुश्री	वर्तमान तैनाती	प्रोन्नति पश्चात् आवंटित डिस्कॉम/इकाई	आवंटित अभिज्ञान सं०
1	2	3	4	5
1	त्रिलोकी नाथ शर्मा/स्व० भोला शर्मा 01.03.1982/इलेक्ट्रिकल/गोपालगंज(बिहार)/ पिछड़ीजाति/ए०एम०आई०ई०/9261	वि०पा०म०, वाराणसी	पारेषण संगठन	2016123
2	बृजेश कुमार पाण्डेय/शिव पूजन पाण्डेय 22.05.1984/इलेक्ट्रिकल/मिर्जापुर/सामान्य/ ए०एम०आई०ई०/9351	वि०वि०म०, जौनपुर	पूर्वांचल, वाराणसी	2016124
3	विवेक सिंह/नन्द लाल सिंह 07.05.1983/इलेक्ट्रिकल/कुशीनगर/पिछड़ी जाति/ए०एम०आई०ई०/9501	वि०वि०म०, बरती	पूर्वांचल, वाराणसी	2016125
4	सचिन कुमार शर्मा/हरिशंकर शर्मा 30.06.1984/इलेक्ट्रिकल/गाजियाबाद/ सामान्य/यू०पी०टी०यू०/9757	वि०न०वि०म० मेरठ	पश्चिमांचल, मेरठ	2016126
5	मंजूषा श्रीवास्तव/राम नारायण श्रीवास्तव 05.04.1980/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूनिक्शन/ फैजाबाद/सामान्य/ए०एम०आई०ई०/9761	वि०परी० एवं परि०म०, लखनऊ	पारेषण संगठन	2016127
6	अजीत कुमार पटेल/राम समुख पटेल 01.03.1980/इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स/ कुशीनगर/पिछड़ी जाति/बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी मेसरा, राँची (झारखंड)/9765	वि०वि०म०, जौनपुर	पूर्वांचल, वाराणसी	2016128
7	सुरेन्द्र प्रसाद रस्तोगी/रामधनी प्रसाद 01.03.1975/इलेक्ट्रिकल/कुशीनगर/पिछड़ी जाति/ए०एम०आई०ई०/9770	वि०प्रे०म०, वाराणसी	पारेषण संगठन	2016129
8	धर्मेन्द्र कुमार यादव/इन्द्रासन राम 01.06.1981/इलेक्ट्रिकल/बलिया/पिछड़ी जाति/यू०पी०टी०यू०/9773	वि०वि०म०, शाहजहांपुर	मध्यांचल, लखनऊ	2016130

9

क्र० सं०	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम जन्मतिथि/ब्रांच/गृह जनपद/वर्ग/विश्वविद्यालय का नाम/वरिष्ठता क्रमांक सर्वश्री/सुश्री	वर्तमान तैनाती	प्रोन्नति पश्चात् आवंटित डिस्कॉम/इकाई	आवंटित अभिज्ञान सं०
1	2	3	4	5
9	दिनेश पाल सिंह/दुर्गा सिंह 13.07.1978/इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन/ मुरादाबाद/ पिछड़ी जाति/यू०पी०टी०यू०/9789	वि०पा०म०, मेरठ	पश्चिमांचल, मेरठ	2016131

2. "यह प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं०-60876/2013 एवं समविषयक योजित अन्य याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।"
3. सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ताओं के नियंत्रक अधिकारी उन्हें वर्तमान कार्यभार से कार्यमुक्त करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें :-
 - (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयंत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
 - (ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
 - (ग) अवर अभियन्ता के विरुद्ध विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो उसकी नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
4. (i) सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक, प्रोन्नत अधिकारी की तैनाती का जोन वर्तमान में कार्यरत जोन से भिन्न करना सुनिश्चित करेंगे। यदि अत्यन्त अपरिहार्य कारणों से शिथिलता बरतनी है तो सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक को सकारण प्रस्ताव बनाकर कारपोरेशन से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
 - (ii) सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (पारेषण), प्रोन्नत सहायक अभियन्ता का मण्डल (जानपद पारेषण मण्डल) वर्तमान के तैनाती मण्डल (जानपद पारेषण मण्डल) से भिन्न करना सुनिश्चित करेंगे। यदि अत्यन्त अपरिहार्य कारणों से शिथिलता बरतनी है तो सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (पारेषण) को सकारण प्रस्ताव बनाकर कारपोरेशन से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. समस्त प्रोन्नत अवर अभियन्ता प्रोन्नति आदेश निर्गत होने से एक माह के भीतर अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने वाले अवर अभियन्ताओं के विषय में यह मानते हुए कि वह प्रोन्नति लेने में इच्छुक नहीं हैं, कारपोरेशन स्तर से अग्रेतर कार्यवाही कर दी जायेगी।
6. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त सहायक अभियन्ता (प्रोन्नत) की तैनाती उ०प्र०पा०का०लि० में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति एवं जनहित याचिका सं०-79/1997 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
7. प्रोन्नत अधिकारी को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
8. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत कर चुका हो।

2nd

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :-4275-अ0प्र0-07 / पाकालि / 2016 / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु अवश्यक व्यवस्था करें।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को पत्रांक-737/अनु-01/सहा0अभि0/पदो0/2016-17, दिनांक 17.12.2016 द्वारा प्रेषित छान समिति के सन्दर्भ में।
10. उप सचिव (अ0प्र0-03/04/गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ। अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0-03/04), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
13. संबंधित अधिकारीगण।
14. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,



(इन्द्रमणि)

उप सचिव